

अध्याय-5

कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व

अध्याय 5

कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व

5.1 प्रस्तावना

कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सी.एस.आर.) व्यवसाय द्वारा नैतिक रूप से व्यवहार करने और बड़े पैमाने पर स्थानीय समुदाय के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करते हुए आर्थिक विकास में योगदान करने की निरंतर प्रतिबद्धता है। यह स्थिरता, सामाजिक प्रभाव और नैतिकता को शामिल करते हुए अपने हितधारकों और बड़े पैमाने पर सामान्य समुदाय के हितों की पहचान करता है। सी.एस.आर. की अवधारणा देने और लेने की विचारधारा पर टिकी हुई है। कंपनियां समाज से कच्चे माल, मानव संसाधन आदि के रूप में संसाधन लेती हैं। कंपनियां सी.एस.आर. गतिविधियों का निर्वहन करते हुए समाज को कुछ वापस दे रही हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत सी.एस.आर. जनादेश को शामिल करना विकास के लाभों को समान रूप से वितरित करने और देश के विकास एजेंडे के साथ कॉरपोरेट जगत को शामिल करने के सरकार के प्रयासों को पूरा करने का एक प्रयास है।

कानूनी ढांचा: कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 (बाद में अधिनियम के रूप में संदर्भित), कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व के विषय से संबंधित है और उन कंपनियों के लिए किसी वित्तीय वर्ष के दौरान निवल मूल्य, टर्नओवर और निवल लाभ पर आधारित योग्यता को पूरा करने वाले मानदंड को निर्धारित करती है, जिनके द्वारा सी.एस.आर. गतिविधियां शुरू करना अपेक्षित है और कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा सी.एस.आर. गतिविधियों के चयन, कार्यान्वयन और निगरानी के व्यापक तौर-तरीकों को निर्दिष्ट करती है। कंपनियां द्वारा जो गतिविधियां सी.एस.आर. नीतियों में शामिल की जा सकती हैं वे अधिनियम की अनुसूची VII में सूचीबद्ध हैं। अधिनियम की धारा 135 और अधिनियम की अनुसूची VII के प्रावधान एस.पी.एस.ई. सहित सभी कंपनियों पर लागू होते हैं।

अधिनियम किसी भी कंपनी के लिए वार्षिक तौर पर तीन तत्काल पूर्ववर्ती वर्षों के औसत निवल लाभ के कम से कम दो प्रतिशत (अधिनियम की धारा 198 के अनुसार परिगणित) को सी.एस.आर. गतिविधियों में व्यय करना अनिवार्य बनाता है। फरवरी 2014 में, कॉरपोरेट मामले मंत्रालय (एम.सी.ए.) ने कंपनी (कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व नीति) नियम, 2014 जारी किए, जो 1 अप्रैल 2014 से एस.पी.एस.ई. सहित सभी कंपनियों पर लागू होते हैं। तदनुसार, अधिनियम के अंतर्गत सी.एस.आर. के प्रावधानों का अनुपालन अर्थात् सी.एस.आर. समिति का गठन, सी.एस.आर. नीति का निर्माण तथा सी.एस.आर. गतिविधियों पर निर्धारित राशि का व्यय अप्रैल 2014 से लागू हुआ।

5.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य

एस.पी.एस.ई. की सी.एस.आर. गतिविधियों के आकलन का लेखापरीक्षा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि क्या:

- सी.एस.आर. समिति के गठन, नीति के निर्माण और अनुपालन, निष्पादन के नियोजन चरणों से संबंधित प्रावधानों का अनुपालन किया गया है;
- निर्दिष्ट गतिविधियों पर खर्च की जाने वाली निर्धारित राशि से संबंधित प्रावधानों का अनुपालन किया गया है; तथा
- कार्यान्वयन और रिपोर्टिंग से संबंधित प्रावधानों का अनुपालन किया गया है।

5.3 लेखापरीक्षा का क्षेत्र एवं कवरेज

अधिनियम की धारा 135 (1) के अंतर्गत निर्दिष्ट मानदंड के अनुसार 2018-19 में 25 कार्यरत राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (एस.पी.एस.ई.) में से 10 एस.पी.एस.ई. (परिशिष्ट V ए) को सी.एस.आर. गतिविधियों को करने की आवश्यकता थी। लेखापरीक्षा ने वर्ष 2019-20 के दौरान इन सभी 10 एस.पी.एस.ई. द्वारा की गई सी.एस.आर. गतिविधियों की समीक्षा की। 10 एस.पी.एस.ई. में से केवल सात एस.पी.एस.ई. ने वर्ष 2019-20 के दौरान सी.एस.आर. गतिविधियों और किए गए व्यय के लिए बजट प्रदान किया था।

5.4 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा विश्लेषण निम्नलिखित मानदंड के अनुसार किया गया था:

- अधिनियम की धारा 135 और अनुसूची VII में निहित प्रावधान: और
- कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व नीति) नियम, 2014 के प्रावधान।

5.5 लेखापरीक्षा परिणाम


सी.एस.आर. समिति के गठन, नीति के निर्माण एवं अनुपालन, सी.एस.आर. गतिविधियों की आयोजना एवं निष्पादन और एस.पी.एस.ई. द्वारा उनकी निगरानी एवं रिपोर्टिंग के संबंध में अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन की सीमा पर लेखापरीक्षा परिणाम निम्नलिखित अनुच्छेदों में दिए गए हैं।

आयोजना

5.5.1 सी.एस.आर. समिति का गठन

अधिनियम की धारा 135 (1) एवं (3) के अनुसार बोर्ड और सी.एस.आर. समिति की भूमिका नीचे चार्ट 5.1 में दर्शाई गई है:

चार्ट 5.1



अधिनियम की धारा 135 (1) के अनुसार, किसी भी वित्तीय वर्ष के दौरान ₹ 500 करोड़ या उससे अधिक के निवल मूल्य या ₹ 1,000 करोड़ या अधिक के टर्नओवर या ₹ 5 करोड़ या अधिक के निवल लाभ वाली प्रत्येक कंपनी बोर्ड की एक कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सी.एस.आर.) समिति का गठन करेगी जिसमें तीन या अधिक निदेशक होंगे।

लेखापरीक्षा ने देखा कि 10 में से आठ एस.पी.एस.ई. ने सी.एस.आर. समितियों का गठन किया था। इन आठ एस.पी.एस.ई. में से दो एस.पी.एस.ई. [हरियाणा राज्य सड़क एवं पुल विकास निगम (एच.एस.आर.डी.सी.) और हरियाणा कृषि उद्योग निगम (एच.ए.आई.सी.)] ने 2019-20¹ के दौरान ही अपनी सी.एस.आर. समिति का गठन किया। अन्य दो एस.पी.एस.ई. [हरियाणा पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम लिमिटेड (एच.बी.सी.के.एन.) और हरियाणा अनुसूचित जाति एवं वित्त विकास निगम (एच.एस.एफ.डी.सी.)] ने सी.एस.आर. समिति का गठन नहीं किया, हालांकि ये एस.पी.एस.ई. धारा 135 (1) के अंतर्गत लाभ कमाने के अपेक्षित मानदंडों को पूरा करते थे अर्थात् इन्हें 2016-17 और 2017-18 के दौरान क्रमशः ₹ पांच करोड़ से अधिक का लाभ हुआ। तथापि, इन एस.पी.एस.ई. के वर्ष 2018-19 से आगे के वित्तीय विवरणों को अभी तक (मार्च 2021) अंतिम रूप नहीं दिया गया था।

उत्तर में एच.बी.सी.के.एन. ने बताया (मई 2021) कि इसकी 100 प्रतिशत गतिविधियां केवल गरीबी उन्मूलन के लिए थीं और कोई भी गतिविधि वाणिज्यिक नहीं है। आय का कोई स्रोत

¹ 24 अप्रैल 2019 को एच.एस.आर.डी.सी. तथा 20 फरवरी 2020 को एच.ए.आई.सी.।

नहीं था क्योंकि सभी व्यय हरियाणा सरकार द्वारा प्रशासनिक सब्सिडी के रूप में वहन किया गया था और इन तथ्यों के कारण इसकी आय आयकर से मुक्त थी। इसलिए, निगम पर सी.एस.आर. लागू नहीं था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि एम.सी.ए. ने अपने परिपत्र सं. 01/2016 दिनांक 12 जनवरी 2016 में स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार की कंपनियों को कोई छूट नहीं थी। अधिनियम की धारा 198 के अनुसार लाभ की गणना के लिए, सरकार से प्राप्त प्रशासनिक सब्सिडी और आयकर लाभ से कटौती योग्य नहीं है, इसलिए प्रबंधन का तर्क है कि निगम की आय को आयकर से छूट दी गई है, पिछले वित्तीय वर्षों में ₹ पांच करोड़ से अधिक का लाभ कमाने के बाद भी सी.एस.आर. गतिविधियों को न करने का एक स्वीकार्य कारण नहीं है। इसके अतिरिक्त, इसी तरह की गतिविधियों को अंजाम देने वाले केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अर्थात् राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एन.बी.सी.एफ.डी.सी.) और राष्ट्रीय दिव्यांग वित्त एवं विकास निगम (एन.एच.एफ.डी.सी.) भी अपने लाभ का एक हिस्सा सी.एस.आर. गतिविधियों के अंतर्गत खर्च कर रहे हैं। इसलिए, एच.बी.सी.के.एन. को सी.एस.आर. प्रावधानों की प्रयोज्यता से छूट नहीं है।

5.5.2 समिति में स्वतंत्र निदेशक

अधिनियम की धारा 135 (1) के अनुसार, सी.एस.आर. समिति में कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक होना चाहिए। आठ एस.पी.एस.ई., जहां सी.एस.आर. समितियों का गठन किया गया था, में से छः एस.पी.एस.ई. (एच.वी.पी.एन.एल. और हारट्रॉन² को छोड़कर) ने समिति में कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक होने के नियम का पालन किया था। तीन एस.पी.एस.ई. (यू.एच.बी.वी.एन.एल., डी.एच.बी.वी.एन.एल. और एच.ए.आई.सी.) की सी.एस.आर. समितियों में एक से अधिक स्वतंत्र निदेशक थे।

उत्तर में, एच.वी.पी.एन.एल. ने अपनी सी.एस.आर. समिति की संरचना प्रदान की (मई 2021) जिसमें उनकी नियुक्ति की तारीख का उल्लेख किए बिना स्वतंत्र निदेशक शामिल थे। हमने अवलोकित किया कि उन्हें वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान नियुक्त किया गया था। इस प्रकार, एच.वी.पी.एन.एल. ने वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान नियम का अनुपालन नहीं किया था।

5.5.3 सी.एस.आर. नीति तैयार करना

अधिनियम की धारा 135 (3) के अनुसार अपेक्षित है कि कंपनी की सी.एस.आर. समिति, सी.एस.आर. नीति तैयार करेगी और बोर्ड को इसकी सिफारिश करेगी। यह देखा गया कि दस एस.पी.एस.ई. में से छः एस.पी.एस.ई. ने बताया कि उन्होंने सी.एस.आर. समिति की सिफारिश के आधार पर अपनी सी.एस.आर. नीति तैयार की थी जबकि अन्य तीन एस.पी.एस.ई.³ (एच.ए.आई.सी., एच.बी.सी.के.एन. और एच.एस.एफ.डी.सी.) में सी.एस.आर. नीति नहीं थी। एक एस.पी.एस.ई. (एच.एस.आर.डी.सी.) ने सी.एस.आर. समिति की सिफारिश पर सी.एस.आर. नीति तैयार की थी (मई 2019) लेकिन इसे बोर्ड द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया था, इसलिए इसने 2018-19 से पहले सी.एस.आर. गतिविधियों को शुरू नहीं किया, यद्यपि

² कंपनी (निदेशक की नियुक्ति एवं अर्हता) संशोधन नियम 2017 के नियम 4 (2) के अनुसार, हारट्रॉन को एक स्वतंत्र निदेशक की आवश्यकता नहीं थी।

³ चूंकि इन एस.पी.एस.ई. ने न तो सी.एस.आर. समिति का गठन किया था और न ही सी.एस.आर. नीति बनाई थी, इन पर विश्लेषण के लिए विचार नहीं किया गया है।

2015-16 से ऐसा करना अपेक्षित था। नियम 6 की अपेक्षाएं - एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त होने के योग्य और इच्छुक व्यक्ति द्वारा आवश्यक अनुपालन - सभी सात एस.पी.एस.ई. में पूरी की गई थीं।

5.5.4 वार्षिक सी.एस.आर. योजना एवं बजट

सी.एस.आर. समिति की भूमिका, सी.एस.आर. गतिविधियों और वित्तीय वर्ष में खर्च की जाने वाली राशि के बारे में बोर्ड को सिफारिश करना है। बोर्ड को सी.एस.आर. गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करना है। प्रस्तावित सी.एस.आर. परियोजनाओं और आगामी वित्तीय वर्ष के लिए बजट को नए वित्तीय वर्ष के आरंभ से पहले या जल्द से जल्द अनुमोदन के लिए बोर्ड को प्रस्तुत किया जाना चाहिए ताकि वर्ष के अंत में निधियों को समाप्त करने के लिए व्यय के वेग से बचा जा सके और निधियों को वर्ष भर समान रूप से खर्च किया जा सके।

हमने अवलोकित किया कि सात एस.पी.एस.ई.⁴ (परिशिष्ट V बी) में से एक एस.पी.एस.ई. (एच.एस.आर.डी.सी.) ने सी.एस.आर. बजट पहली तिमाही में, तीन एस.पी.एस.ई. (एच.पी.जी.सी.एल., डी.एच.बी.वी.एन.एल. और एच.एस.आई.आई.डी.सी.) ने दूसरी तिमाही में और दो एस.पी.एस.ई. (एच.वी.पी.एन.एल. और यू.एच.बी.वी.एन.एल.) ने तीसरी तिमाही में अनुमोदित करवाया। हारट्रॉन ने 2019-20 के लिए अपना सी.एस.आर. बजट अनुमोदित नहीं कराया था।

एच.वी.पी.एन.एल. ने स्वीकार किया और बताया (मई 2021) कि सी.एस.आर. निधियों के उपयोग के लिए उनके बजट को तीसरी तिमाही में नवंबर 2019 में आयोजित सी.एस.आर. समिति की बैठक में अनुमोदित किया गया था।

5.6 वित्तीय घटक

5.6.1 निधियों का आबंटन

अधिनियम की धारा 135 (5) किसी भी कंपनी के लिए यह अनिवार्य करती है कि वह तीन तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के औसत निवल लाभ (अधिनियम की धारा 198 के अंतर्गत परिगणित) का कम से कम दो प्रतिशत वार्षिक खर्च करे।

10 एस.पी.एस.ई. में से सात द्वारा इस प्रकार परिकल्पित औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत ₹ 17.50 करोड़ था। एस.पी.एस.ई. ने पिछले वर्षों के लिए ₹ 11.16 करोड़ के कैरीओवर सहित ₹ 28.66 करोड़ आवंटित किए (परिशिष्ट V बी)।

हमने अवलोकित किया कि:

- तीन एस.पी.एस.ई. ने पिछले वर्ष 2018-19 के अव्ययित सी.एस.आर. को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए 2019-20 में आवंटित किया था।
- कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एम.सी.ए.), भारत सरकार ने अपने सामान्य परिपत्र सं. 01/2016 दिनांक 12 जनवरी 2016 में स्पष्ट किया है कि "धारा 135 के लिए निवल

⁴ सात एस.पी.एस.ई. में से दो एस.पी.एस.ई. अर्थात् एच.एस.आर.डी.सी. और एच.एस.आई.आई.डी.सी. ने 2019-20 के लिए अंतिम सी.एस.आर. बजट अनुमोदित किया क्योंकि 2018-19 के लिए उनकी वित्तीय विवरणियां तैयार नहीं की गई थीं।

लाभ की गणना कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 198 के अनुसार है जो मुख्य रूप से कर पूर्व निवल लाभ है।" लेखापरीक्षा ने देखा कि एच.वी.पी.एन.एल. और एच.पी.जी.सी.एल. ने धारा 198 के अंतर्गत यथा अपेक्षित औसत लाभ की गणना के लिए लाभ को कर पूर्व नहीं लिया था। एम.सी.ए. के स्पष्टीकरण के अनुसार एच.वी.पी.एन.एल. और एच.पी.जी.सी.एल. का कर पूर्व औसत निवल लाभ कंपनियों द्वारा परिकलित ₹ 138.42 करोड़ और ₹ (-) 1.48 करोड़ की तुलना में क्रमशः ₹ 457.76 करोड़ और ₹ 353.95 करोड़ था (परिशिष्ट V सी)। इसके परिणामस्वरूप एच.वी.पी.एन.एल. और एच.पी.जी.सी.एल. द्वारा सी.एस.आर. निधियों का क्रमशः ₹ 6.39 करोड़ और ₹ 7.08 करोड़ का कम प्रावधान किया गया है।

एच.पी.जी.सी.एल. ने बताया (मई 2021) कि यह अंतर लेखापरीक्षा द्वारा 'अन्य व्यापक आय' (ओ.सी.आई.) अर्थात् बीमांकिक हानि पर विचार न करने के कारण था। इसके अतिरिक्त, आयकर कार्यालय ओ.सी.आई. के अंतर्गत वर्गीकृत बीमांकिक हानि को स्वीकार्य व्यय के रूप में मानता है। एच.वी.पी.एन.एल. ने बताया (मई 2021) कि लेखापरीक्षा ने सी.एस.आर. व्यय के प्रावधान की गणना के लिए ओ.सी.आई. अर्थात् बीमांकिक हानि (पेंशन योजना हानि) के प्रभाव पर विचार नहीं किया था और बताया कि सी.एस.आर. गतिविधियों के प्रावधान में बाद में आंकड़ों में संशोधन का मामला, यदि कोई हो, पाया जाता है तो उस पर चालू वित्तीय वर्ष में विचार किया जाएगा।

एच.पी.जी.सी.एल. और एच.वी.पी.एन.एल. के उत्तर स्वीकार्य नहीं थे क्योंकि अधिनियम की अपेक्षा के अनुसार ओ.सी.आई. को कर पूर्व लाभ से नहीं काटा जाना था। इसके अतिरिक्त, सी.एस.आर. के लिए किया जाने वाला खर्च कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत नियंत्रित होता है और आयकर अधिनियम के अंतर्गत ओ.सी.आई. की कटौती की अनुमति देना अलग मामला है।

5.6.2 निधियों का उपयोग

अधिनियम की धारा 135 (5) में वर्णित है कि बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि कंपनी पिछले तीन वर्षों के औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत खर्च करे। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि सात एस.पी.एस.ई. द्वारा ₹ 28.66 करोड़ के अपेक्षित व्यय के विरुद्ध वास्तविक व्यय ₹ 21.37 करोड़ था, जिसमें पांच एस.पी.एस.ई. द्वारा ₹ 7.87 करोड़ की राशि अव्ययित छोड़ दी गई थी (परिशिष्ट V बी)। एच.पी.जी.सी.एल. ने पिछले वर्षों के अव्ययित शेष का पूरी तरह से उपयोग किया और एच.एस.आर.डी.सी. ने 2019-20 के दौरान आवंटित सी.एस.आर. निधि का पूरा उपयोग किया। एम.सी.ए. ने स्पष्ट किया (12 जनवरी 2016) कि "कंपनियों द्वारा किसी अन्य अधिनियम/विनियमों के विधान (श्रम कानून, भूमि अधिग्रहण अधिनियम और अप्रेंटिस अधिनियम 1961 आदि) की पूर्ति के लिए किए गए खर्च को सी.एस.आर. के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाएगा"। तथापि, यह देखा गया कि एच.वी.पी.एन.एल. और एच.पी.जी.सी.एल. ने अप्रेंटिस अधिनियम, 1961 के अंतर्गत नियुक्त प्रशिक्षुओं पर 2019-20 के दौरान क्रमशः ₹ 1.99 करोड़ और ₹ 0.40 करोड़ का व्यय किया किंतु इसका दावा सी.एस.आर. गतिविधियों के अंतर्गत किया।

एच.एस.आर.डी.सी. ने पर्यावरणीय स्थिरता के लिए बागवानी प्रभाग, पी.डब्ल्यू.डी. (बी. एंड आर.), गुरुग्राम के माध्यम से सड़कों के किनारे वृक्षारोपण के लिए ₹ 38 लाख आवंटित किए और बागवानी मंडल की मांग पर ₹ 6.43 लाख का भुगतान किया, तथापि हमने देखा कि ये

वृक्षारोपण कार्य संबंधित सड़कों के निर्माण के लिए पहले ही संविदा अनुबंधों के अंतर्गत शामिल किए गए थे। कंपनी ने शेष वृक्षारोपण कार्यों को सी.एस.आर. गतिविधियों से बाहर करने का निर्णय लिया (जनवरी 2020)।


5.6.3 तिमाही वार व्यय

सात एस.पी.एस.ई. द्वारा 2019-20 के दौरान सी.एस.आर. के प्रति कुल व्यय ₹ 21.37 करोड़ था। अंतिम तिमाही में सी.एस.आर. व्यय में अधिक प्रवाह था। यू.एच.बी.वी.एन.एल. और एच.एस.आई.आई.डी.सी. ने चौथी तिमाही में अपनी सी.एस.आर. निधियों का बड़ा हिस्सा (क्रमशः ₹ 0.70 करोड़ और ₹ 12.97 करोड़) खर्च किया था।

एच.एस.आई.आई.डी.सी. ने बताया (मई 2021) कि खर्च की गई राशि चार तिमाहियों में बिखरी हुई थी लेकिन प्रतिबद्धता के कारण, इसने चौथी तिमाही में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.आई.आई.टी.) परियोजनाओं के लिए ₹ 12.20 करोड़ खर्च किए थे।

5.6.4 उच्च व्ययकर्ता:

सात एस.पी.एस.ई. द्वारा सी.एस.आर. गतिविधियों पर कुल व्यय नीचे चार्ट 5.2 में दर्शाया गया है:



सबसे ज्यादा व्यय करने वाला एच.एस.आई.आई.डी.सी. ₹ 14.33 करोड़ (कुल व्यय किए गए सी.एस.आर. का 67 प्रतिशत) था, इसके बाद एच.वी.पी.एन.एल. ₹ 4.76 करोड़ (22 प्रतिशत) था।

5.6.5 जिला-वार सी.एस.आर. व्यय

चार एस.पी.एस.ई. (एच.एस.आई.आई.डी.सी., एच.एस.आर.डी.सी., एच.वी.पी.एन.एल. और एच.पी.जी.सी.एल.) ने राज्य के एक से अधिक जिलों में सी.एस.आर. गतिविधियां शुरू की थीं। दो एस.पी.एस.ई. (एच.वी.पी.एन.एल. और एच.पी.जी.सी.एल.) ने पूरे हरियाणा में प्रशिक्षुओं को नियुक्त किया, हालांकि, वर्ष 2019-20 के लिए सी.एस.आर. गतिविधियों की वार्षिक रिपोर्ट में न तो जिला-वार व्यय का प्रकटन किया गया और न ही लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराया गया। एच.एस.आई.आई.डी.सी. ने केवल सोनीपत जिले में ₹ 12.22 करोड़ (अपने कुल सी.एस.आर. व्यय का 85.24 प्रतिशत) और एच.एस.आर.डी.सी. ने केवल पंचकुला जिले में ₹ 0.48 करोड़

(अपने कुल सी.एस.आर. व्यय का 89 प्रतिशत) का व्यय किया। हारट्रॉन ने संपूर्ण सी.एस.आर. का व्यय पंचकुला जिले में किया। यू.एच.बी.वी.एन.एल. ने अपनी सभी सी.एस.आर. निधियों को पी.एम. केयर फंड में हस्तांतरित करके व्यय किया और डी.एच.बी.वी.एन.एल. ने 2019-20 के दौरान कोई व्यय नहीं किया।

5.6.6 प्रशासनिक उपरिव्यय

सी.एस.आर. नियम 4 (6) के अनुसार, प्रशासनिक उपरिव्यय (ओ.एच.) को समग्र सी.एस.आर. निधियों के पांच प्रतिशत तक सीमित किया जाना है। अलग से प्रकट किए जाने वाले उपरिव्यय में आधारभूत अध्ययन, क्षमता निर्माण और अन्य उपरिव्यय शामिल होने चाहिए। तथापि, लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि छ: एस.पी.एस.ई. द्वारा सी.एस.आर. व्यय में प्रशासनिक उपरिव्यय के रूप में कोई राशि शामिल नहीं थी।

5.6.7 सी.एस.आर. परियोजना से अधिशेष

सी.एस.आर. नियम 6(2) के अनुसार, सी.एस.आर. परियोजनाओं से उत्पन्न होने वाला कोई भी अधिशेष कंपनी के व्यावसायिक लाभ का हिस्सा नहीं होगा। समीक्षाधीन किसी भी एस.पी.एस.ई. ने सी.एस.आर. परियोजनाओं से किसी अधिशेष की सूचना नहीं दी।

5.7 परियोजना कार्यान्वयन

5.7.1 सी.एस.आर. परियोजनाओं/गतिविधियों का चयन

किसी भी एस.पी.एस.ई., जिनके द्वारा सी.एस.आर. व्यय करना अपेक्षित था, ने अपनी सी.एस.आर. परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए कोई अलग बेसलाइन सर्वेक्षण किया या आवश्यक मूल्यांकन अध्ययन नहीं किया।


5.7.2 सी.एस.आर. गतिविधियों के कार्यान्वयन की प्रणाली

कंपनी (सी.एस.आर.) नियमावली, 2014 का नियम 4 विशेष रूप से उस प्रणाली से संबंधित है जिसमें अधिनियम की धारा 135(1) के अंतर्गत सी.एस.आर. गतिविधि की जानी है। बोर्ड एक पंजीकृत ट्रस्ट/सोसाइटी अथवा कंपनी या इसकी धारिता अथवा सहायक अथवा सहयोगी कंपनी द्वारा अधिनियम की धारा 8 या अन्यथा के अंतर्गत स्थापित किसी कंपनी के माध्यम से सी.एस.आर. समिति द्वारा अनुमोदित सी.एस.आर. गतिविधियों को शुरू करने का निर्णय ले सकता है।

हमने अवलोकित किया कि चार एस.पी.एस.ई. द्वारा सात परियोजनाओं को फाउंडेशन के माध्यम से सीधे/घरेलू रूप से कार्यान्वित किया गया था। एच.एस.आर.डी.सी. द्वारा दो परियोजनाओं और यू.एच.बी.वी.एन.एल. द्वारा एक परियोजना को सरकार/बाहरी एजेंसियों, गैर-सरकारी संगठनों, सोसायटी आदि के माध्यम से निष्पादित किया गया था।

5.7.3 केंद्र बिंदु के क्षेत्र

केंद्र बिंदु के क्षेत्रों को नीचे चार्ट 5.3 में दर्शाया गया है:



ऊपर इंगित किए गए अनुसार रोजगार एवं कौशल विकास पर सबसे अधिक ध्यान (73 प्रतिशत) दिया गया जिसमें एच.एस.आई.आई.डी.सी. द्वारा सोनीपत में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना पर ₹ 12.20 करोड़ का व्यय शामिल है। इस मद के अंतर्गत कुल व्यय ₹ 15.51 करोड़ था। अगला उच्चतम व्यय (₹ 2.77 करोड़) अर्थात् 13 प्रतिशत लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण पर था। यू.एच.बी.वी.एन.एल. ने ₹ 0.70 करोड़ की समग्र सी.एस.आर. राशि प्रधानमंत्री केयर फंड में जमा कर दी।

5.8 निगरानी तंत्र

सी.एस.आर. नियमावली, 2014 के नियम 5(2) के अनुसार, सी.एस.आर. समिति कंपनी द्वारा शुरू की गई सी.एस.आर. परियोजनाओं/कार्यक्रमों/गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए एक पारदर्शी निगरानी तंत्र स्थापित करेगी। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि सभी सात एस.पी.एस.ई., जिन्होंने सी.एस.आर. नीति तैयार की थी, ने नीति में निगरानी तंत्र को निर्दिष्ट किया था।

एस.पी.एस.ई. को सी.एस.आर. परियोजना/गतिविधि के प्रकार के आधार पर मामला-दर-मामला आधार पर प्रभाव मूल्यांकन करना अपेक्षित है। 2019-20 में पांच एस.पी.एस.ई., जिन्होंने सी.एस.आर. पर सीधे/घरेलू रूप से या बाहरी एजेंसियों के माध्यम से खर्च किया, ने प्रभाव मूल्यांकन नहीं किया।

5.9 सूचना एवं प्रकटन

अधिनियम की धारा 134 (3) (ओ) के साथ पठित धारा 135 (2) और (4) के अनुसार, कंपनी द्वारा अपनी बोर्ड रिपोर्ट में सी.एस.आर. पर एक वार्षिक रिपोर्ट शामिल करना और इसे आधिकारिक वेबसाइट पर डालना अपेक्षित है। कंपनियों को निर्धारित प्रारूप में निम्नलिखित को प्रकट करना होगा:

- सी.एस.आर. नीति की विषय-वस्तु, सी.एस.आर. नीति का वेब लिंक, औसत निवल लाभ, सी.एस.आर. समिति की संरचना, प्रशासन उपरिव्यय, निर्धारित राशि, अव्ययित राशि, अव्ययित राशि के कारणों को प्रकट करना।
- सी.एस.आर. समिति द्वारा हस्ताक्षरित एक उत्तरदायित्व वक्तव्य शामिल करना कि सी.एस.आर. नीति का कार्यान्वयन और निगरानी कंपनी के सी.एस.आर. उद्देश्य और नीति के अनुपालन में थी।

लेखापरीक्षा ने 10 एस.पी.एस.ई. में अवलोकित किया:

- चार एस.पी.एस.ई. (एच.वी.पी.एन.एल., एच.पी.जी.सी.एल., यू.एच.बी.वी.एन.एल. और डी.एच.बी.वी.एन.एल.) द्वारा प्रावधानों का अनुपालन; तथा
- छः एस.पी.एस.ई. (हारट्रॉन, एच.एस.आई.आई.डी.सी., एच.एस.एफ.डी.सी., एच.बी.सी.के.एन., एच.ए.आई.सी. और एच.एस.आर.डी.सी.) में 2019-20 के लिए वार्षिक रिपोर्ट तैयार नहीं की गई थी, इसलिए उनके मामले में लागू प्रकटीकरण अपेक्षा का अनुपालन नहीं किया जा सका।

निष्कर्ष

हरियाणा में 10 एस.पी.एस.ई. में से, जिन्हें अधिनियम के अनुसार सी.एस.आर. गतिविधियों को करने की आवश्यकता थी, केवल सात एस.पी.एस.ई. अनुपालन कर रहे थे। एच.एस.आई.आई.डी.सी. द्वारा भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना पर ₹ 12.20 करोड़ खर्च करने के कारण सी.एस.आर. व्यय का केंद्र बिंदु क्षेत्र रोजगार और कौशल विकास था। शिक्षा, खेल, स्लम विकास और पर्यावरण स्थिरता के क्षेत्रों ने ध्यान आकर्षित नहीं किया। सभी एस.पी.एस.ई. में सी.एस.आर. परियोजनाओं का चयन बिना किसी आवश्यकता मूल्यांकन अध्ययन के किया गया था और दस एस.पी.एस.ई. में से छः, जो मानदंडों को पूरा करते थे, में रिपोर्टिंग और प्रकटीकरण आवश्यकताओं का अनुपालन नहीं किया गया था।

सिफारिशें

मानदंडों को पूरा करने वाले सभी एस.पी.एस.ई. को सी.एस.आर. नीति तैयार करनी चाहिए और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और सी.एस.आर. नियमों के अनुपालन में सी.एस.आर. समिति का गठन करना चाहिए। सी.एस.आर. बजट कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 198 के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए और वर्ष के लिए तय पूरे बजट को खर्च करने का प्रयास किया जाना चाहिए। एस.पी.एस.ई. द्वारा बड़े पैमाने पर सामान्य समुदाय के लिए स्थिरता और सामाजिक प्रभाव को शामिल करने के लिए अधिनियम की अनुसूची VII में निर्दिष्ट फोकस क्षेत्रों को शामिल किया जाना चाहिए।